मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल

विज्ञप्ति
राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की स्वतंत्र मॉनिटरिंग करने के लिये राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनिटर्स को Empanel किये जाने हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, गृह निर्माण मण्डल आदि से सेवानिवृत्त हुये कार्यपालन यंत्री एवं वरिष्ठ स्तर के यंत्रियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । जिन्हें विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्पादन एवं पर्यवेक्षण का अनुभव हो।

राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनिटर्स के लिये अन्य विस्तृत मार्गदर्शी दिशा–निर्देश एवं सेवा शर्तों का प्रमुख अभियंता कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है। इच्छुक आवेदक, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भू–तल सतपुड़ा भवन भोपाल (मध्यप्रदेश) के नाम से दिनांक 31.12.2011 तक प्रेषित कर सकते हैं। नियुक्ति के संबंध में विस्तृत विवरण तथा सेवा शर्ते विभाग की बेवसाइट www.mpphed.gov. in पर देखी जा सकती है ।

प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश–462 004
राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनिटर हेतु आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नाम ....
2. वर्तमान पता ....
   ....
   ....
3. ई मेल का पता ....
4. स्थाई पता ....
   ....
   ....
5. जन्मतिथि ....
6. शैक्षणिक योग्यता ....
7. शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने की तिथि को धारित पद एवं मूल वेतन ....
   ....
8 दूरभाष नं. .... मोबाइल ....
9. अनुभव का विवरण (विगत लगभग 10 वर्षो का)

विभाग का नाम	धारित पद	अवधि	सम्पादित कराये गये मुख्य कार्यों का विवरण

10. प्राथमिकता के आधार पर जिलों के नाम जहां कार्य करने के इच्छुक हों –
    1. 2. 3. 4. 5.

11. (i) कृपया पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ संलग्न करें।
    (ii) सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
12. अन्य विवरण (यदि देना चाहें)

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश–462 004
दूरभाष–5231001, 2552116, 2552130, 2551598 (एक्स– 104)

राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति हेतु सेवा शर्ते

आवेदन पत्र, मध्यप्रदेश शासन के विभागों जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, गृह निर्माण मण्डल आदि से सेवानिवृत्त हुय कार्यपालन यंत्री एवं वरिष्ठ स्तर के यंत्रियों से जो मध्यप्रदेश के किसी भी जिले के निरीक्षण हेतु सक्षम हों, आमंत्रित किये जाते हैं, जिन्हें विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्पादन एवं पर्यवेक्षण का अनुभव हो। इन स्वतंत्र क्वालिटी मॉनिटर को देय मानदेय भत्तों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. मानदेय रूपये 1500/– प्रतिदिन की दर से दिया जायेगा तथा उन्हें सेवा निवृत्ति के समय धारित पद के लिए वर्तमान समय में जो यात्रा व्यय एवं भत्ते देय हैं, की पात्रता होगी।
2. प्रत्येक माह में 3 दिन हेतु कार्यों के निरीक्षण की समय सीमा तय की गयी है तथा मानदेय की गणना हेतु घर से प्रस्थान से घर वापिसी तक का समय जोड़ा जाना स्वीकृत किया जावेगा।
3. यदि यात्रा हेतु स्वयं का वाहन उपयोग में लाया जाता है तो मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग की बिना ए. सी. एम्बेसडर कार हेतु स्वीकृत दर से 10 प्रतिशत कम की दर का भुगतान किया जावेगा।
4. होटल में ठहरने पर बड़े शहर (नगर निगम) हेतु रू. 1000/– प्रतिदिन मध्यम शहर (नगर पालिका) हेतु रूपये 750/– प्रतिदिन एवं छोटे शहर (नगर पंचायत) हेतु रू. 500/– प्रतिदिन का किराया देय होगा।

राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनिटर्स के लिये अन्य विस्तृत मार्गदर्शी दिशा–निर्देश एवं विभागीय कार्यों की जानकारी नियुक्ति आदेश के साथ जारी किये जावेंगे,। क्वालिटी मॉनीटर्स को प्रतिमाह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यो के निरीक्षण के लिये भेजा जा सकेगा।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)